

अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखने में हुये
विलम्ब का कारण।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन/राज्य कर अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं को समय से सदन के पटल पर रखे जाने में हुये विलम्ब का कारण "मुद्रित प्रतियाँ राजकीय मुद्रणालय से ससमय प्राप्त न होना है, जो कि प्रक्रियात्मक विलम्ब है।"

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 5 फरवरी, 2020

माघ 16, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 110/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(95)-2020

लखनऊ, 5 फरवरी, 2020

अधिसूचना

प०आ०-40

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या क०नि०-2-159/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(107)-2018, दिनांक 31 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक में :-

अंक, अक्षर और शब्द "10 जनवरी, 2020" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द "17 जनवरी, 2020" रख दिये जाएंगे।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 110/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(95)-2020, dated February 5, 2020:

No. 110/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(95)-2020
Dated Lucknow, February 5, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. KA.NI.-2-159/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(107)-2018, dated January 31, 2018, namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in the third proviso, *for* the figures, letters and word "10th January, 2020" the figures, letters and word "17th January, 2020" shall be *substituted*.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 696 राजपत्र-2020-(1591)-599 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 77 सा० संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन-2020-(1592)-3500 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।